संख्या–220/XIII/5(32)/2007

प्रेषक,

ओम प्रकाश
सचिव, कृषि
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि एंव विपणन अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 29 फरवरी, 2008

विषय : जल संभरण योजना के कियान्वयन हेतु दिशानिर्देश विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या कृ0नि/5823/त0संप्रे0/जल संभ0/2007–08 दिनांक 13.02.2008 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2007–08 में जल संभरण योजना के अन्तर्गत संशोधित संलग्न दिशानिर्देश आपको प्रेषित किये जा रहे हैं।

2. कृपया संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्य सम्पादित करने का कष्ट करें। इस योजना हेतु निर्गत धनराशि का पूर्ण उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक–जल संभरण योजना के संशोधित दिशानिर्देश।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या–220/XIII/5(32)/2007, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
2. जिलाधिकारी, टिहरी/अल्मोड़ा/पौड़ी/देहरादून/बागेश्वर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी/अल्मोड़ा/पौड़ी/देहरादून/बागेश्वर।
4. प्रभारी संयुक्त कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी।
6. मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी/अल्मोड़ा/पौड़ी/देहरादून/बागेश्वर।
7. सहायक निदेशक जलागम, टिहरी/अल्मोड़ा/पौड़ी/देहरादून/बागेश्वर।
8. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 कृषि मंत्री जी के सूचनार्थ।
9. गार्ड फाइल/एन0आई0सी0।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव

जल संभरण कार्यक्रम की कार्य योजना वर्ष 2007–08

कार्यक्रम की आवश्यकता एवं औचित्य– जल प्रकृति का निःशुल्क उपहार ही नहीं, जीवन का कुल आधार भी है। यही कारण है कि वर्षों से जल के संरक्षण के संबंध में मानव द्वारा विविध प्रयास किये गये हैं और यह प्रयास आज भी जारी हैं।

उत्तराखण्ड में अधिकांश भाग पर्वतीय होने के कारण सिंचाई की सुविधायें सीमित हैं। सामान्यतया वर्षा अच्छी होती है, किन्तु तीव्र ढाल होने के कारण वर्षा जल तीव्र वेग से निचले मैदानी क्षेत्रों की ओर बह जाता है तथा मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बनता है। गत कुछ वर्षों से जलागम प्रबंधन पद्वति पर चयनित जलागम क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं संभरण की तकनीकों को उपयोग में लाया गया है, जिससे संरक्षित क्षेत्रों में फसलों को जीवन रक्षक सिंचाई उपलब्ध कराने में सहायता मिली है तथा पूर्णतया सूखे (Crop Failure) की स्थिति से बचाया गया है।

यद्यपि विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं, जलागम प्रबंधन आधारित योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रों का चयन कर, जल संभरण के कार्यक्रम संपादित कराये जा रहे हैं। किन्तु बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां जल संभरण कार्यक्रमों की बहुत अधिक आवश्यकता होते हुये भी तकनीकी कारणें से उनका चयन नहीं हो पाता है। अतः ऐसे क्षेत्रों में जहां जल संभरण कार्यक्रमों से उत्पादकता में सुधार की व्यापक संभावनायें हैं, किन्तु उनका चयन जलागम प्रबंधन आधारित अन्य योजनाओं के अंतर्गत किया जाना संभव नहीं है के लिये उक्त योजना को प्रस्तुत किया गया है ताकि असेवित क्षेत्रों का भी समरेखीय विकास हो सके।

कार्यदायी संस्थाः– कार्यक्रमों का संपादन कृषि विभाग की जलागम प्रबंध इकाइयों द्वारा टेण्डर माध्यम से कराया जायेगा।

उद्देश्यः–

1. अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन करते हुये तथा नमी संरक्षण की विधियों से फसल उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास।
2. असेवित क्षेत्रों का समरेखीय विकास।
3. कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन देकर कृषकों की आयसर्जक गतिविधियों का बढ़ाना।

कार्ययोजना की अवधिः– कार्य योजना एक वर्ष के लिये तैयार की गई है। अगले वित्तीय वर्ष में परिव्यय की उपलब्धता के आधार पर इनके स्थान पर दूसरे जनपदों का चयन किया जा सकेगा।

कार्यक्रम का कार्यक्षेत्रः– परिव्यय की उपलब्धता को देखते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिये 5 जनपदों का चयन किया गया है। कार्यक्रमों का संपादन एक या एक से अधिक गांवों में किया जा सकेगा, किन्तु उन गांवों का चयन नहीं किया जायेगा, जो किसी जलागम योजना के अंतर्गत चयनित है। प्राथमिकता उन गांवों को दी जायेगी, जिनमें ऐसे कार्यक्रम पूर्व में संपादित नहीं कराये गये हैं।

भौतिक कार्यक्रम जो संपादित किये जायेंगेः– योजना के अंतर्गत ऐसी संरचनाओं के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है, जिनसे वर्षा जल का अधिकाधिक संग्रहण सुनिश्चित करते हुये शुष्क मौसम में उसका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। प्रस्तावित कार्यक्रम निम्नवत् हैः–

1. फैरो सीमेंट टैंक/पालीथीन लाइन्ड टैंक।
2. पक्के टैंकों का निर्माण।
3. कच्चे तालाबों का निर्माण।

कार्यक्रम के संपादन हेतु वित्तीय प्राविधानः– वित्तीय लक्ष्यों का विवरण जनपदवार आगे वर्णित हैं।

संरचनाओं का निरीक्षण, सर्वेक्षण एवं सत्यापनः– कृषि विभाग में मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों के लिये निर्धारित प्राविधानों के अंतर्गत।

योजना के लाभ जो प्रतिवेदित किये जायेंगेः–

1. अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन (हैक्टयेर में)।
2. उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि से आय में वृद्धि।

योजना के संदर्भ में अन्य उल्लेखनीय प्राविधानः–

1. जनपदवार वित्तीय प्राविधान निम्नानुसार हैं।

(धनराशि लाख रू0 में)

कम सं0	जनपद	योग
1	टिहरी	50
2	अल्मोडा	54
3	पौडी	80
4	देहरादून	30
5	बागेश्वर	20
	योगः–	234.00

इन जनपदों में स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगें। जिन ग्रामों में स्वैच्छिक आधार पर चकबंदी हो चुकी है, उन्हें इस कार्यक्रम में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। तत्पश्चात् कार्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों एवं इन वर्गों के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी। इस शर्त के अधीन First Come First Servre आधार पर उपलब्ध धनराशि की सीमा तक कार्य कराये जायेंगें।

2. सामूहिक भूमि के कार्यों पर किसी प्रकार का अंशदान नहीं देना होगा। परन्तु व्यक्तिगत भूमि के कार्यों में सामान्य लाभार्थी से 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थी से 10 प्रतिशत अंशदान लिया जायेगा, जो कार्य शुरू करने से पूर्व उन्हें जमा करना होगा।

3. सामग्री को छोड़कर सभी कार्य टेन्डर द्वारा संपादित होंगें। परन्तु सामग्री की आपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी। यह विभाग द्वारा यथास्थिति DGS&D Rate Contract अथवा टेन्डर द्वारा कय की जायेगी।

5. व्यक्तिगत भूमि में निर्माण किये जाने वाले जल संग्रहण टैंक की क्षमता कम से कम 1000 घन फीट होगी जबकि सामूहिक भूमि में निर्माण किये जाने वाले जल संग्रहण टैंक की

क्षमता कम से कम 20000 घन फीट होगी। इनकी गहराई अधिकतम 5 फीट तथा न्यूनतम 3.5 फीट होगी। इसकी आकृति स्थानीय भूमि उपलब्धता के अनुसार रखी जा सकती है परन्तु इसमें यह ध्यान रखा जाये कि जहां तक सम्भव हो यह वर्गाकार/आयताकार आकृति में हो एवं लम्बाई एवं चौड़ाई के मध्य 3:1 से अधिक का अनुपात न हो।

6. पक्का कार्य संपादित कराने से पूर्व उसकी स्वीकृति मंडलीय अधिकारी से लेनी आवश्यक होगी। समस्त आगणनों की सक्षम अधिकारी से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य संपादित कराये जायेंगें।

7. योजना में कार्यक्रमों एवं संरचनाओं का चयन इस प्रकार होगा, जिससे सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो तथा उत्पादन एवं उत्पादकता की वृद्धि में सीधा प्रभाव पडे।

8. जहां पर कृषि भूमि बुरांश तथा ओक के जंगल के नीचे उपलब्ध है, वहां योजना को लागू करने का प्लान अवश्य तैयार किया जाये।

9. योजना में फेरो सीमेन्ट टैंक का निर्माण जमीन के नीचे Trapezoidal आकार में मृदा कार्य करते हुये किया जाये। इसके बाद ईट या स्टोन पिचिंग करते हुए मुर्गी जाली की दो सतह बिछाकर फेरोसीमेंट का वाटर प्रूफिंग कम्पाउन्ड के साथ प्लास्टर किया जाये तथा बाहरी साईड में गेट वाल्व दिया जाये। पाली टैंक, एल0डी0पी0ई0 टैंक तथा टारफेल्ट टैंक का निर्माण विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान के डिजाइन के अनुसार किया जाये।

(ओम प्रकाश)
सचिव, कृषि
उत्तराखण्ड शासन

29.02.2017